



राजस्थान सरकार

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट भीम, जिला राजसमंद

पीठासीन अधिकारी:- विकास शर्मा आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या - 459/2025 प्रा0पत्र

### अनवान

1. जगदीश प्रसाद पिता लक्ष्मीलाल ।
2. कान्ता पुत्री लक्ष्मीलाल ।
3. ज्ञाना पुत्री लक्ष्मीलाल ।
4. लक्ष्मी देवी पत्नि लक्ष्मीलाल ।
5. हितेन्द्र गोपाल पिता लक्ष्मीलाल ।

समस्त जाति ब्राह्मण निवासीयान् बरार तहसील भीम जिला राजसमंद ।

..... प्रार्थीगण

विरुद्ध

राजस्थान सरकार जरिये भू-धारक तहसीलदार भीम ।

..... अप्रार्थी

परिस्थिति:-

01. प्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता श्री दिलीप कुमार सालवी
02. अप्रार्थी की ओर से पैरोकार सरकार

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 111 व 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम वास्ते पत्थरगढ़ी

निर्णय

दिनांक:- 16/3/2026

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र संक्षेप में इस प्रकार प्रस्तुत हुआ कि राजस्व ग्राम बरार पटवार हल्का बरार भू0अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र बरार तहसील भीम जिला राजसमंद के जमाबंदी सम्वत् 2075-2078 के अनुसार खाता संख्या 373 (खाता संख्या पुराना 312), खसरा संख्या 6618 रकबा 0.6151 है0 किरम बंडाड भूमि होकर जमाबंदी दर्ज रिकॉर्ड है। उपरोक्त वर्णित भूमि पर मौके पर सही सीमा जानकारी के चिन्ह नहीं होने की वजह से हम प्रार्थीगण व असामाजिक तत्वों के मध्य लड़ाई-झगड़ा होता रहता है तथा असामाजिक तत्वों के द्वारा उक्त जमीन पर काटे डाल कर अतिक्रमण कर रखा है आए दिन घास काटते एवं फसल बोते वक्त और पेड़-पौधे की डालिया जानवरों के लिए काटते वक्त हर समय विवाद होता रहता है एवं बार-बार परिशान्ति भंग होने की सम्भावना बनी रहती है। प्रार्थीगण उक्त भूमि की पाल-डोल लगाकर उन्नत एवं विकसित करना चाहते है। अतः उक्त भूमि का विद्यमान सर्वेक्षण नक्शों के आधार पर एवं पुराने चिन्हों के आधार पर सीमा को चिन्हित करते हुए बाद नपती पत्थरगढ़ी हो जाती है तो भूमि की सीमाएं स्पष्ट हो जाएगी। अतः प्रार्थीगण की उक्त वर्णित भूमि की पत्थरगढ़ी के आदेश प्रदान कराये जावे।

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को मय नकल प्रार्थना पत्र के सम्मन जारी किए गए। प्रत्युत्तर में अप्रार्थी राज्य सरकार की ओर से पैरोकार सरकार ने उपस्थित होकर न्यायालय को जवाब पेश किया जिसे शामिल पत्रावली किया गया। प्रस्तुत जवाब रिपोर्ट अनुसार

*fm*




स-पास में स्थित खसरा नम्बरों एवं 6618 के मौके पर सीमा चिन्ह स्थित नही होने से मौके पर वाद उत्पन्न न हो इसके लिए पत्थरगढी कराने हेतु आदेश फरमाने की आवश्यकता है।

हमने प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र, जमाबंदी, प्रस्तुत साक्ष्य एवं पैरोकर सरकार के जवाब पर न किया जिसके अनुसार प्रार्थीगण रिकॉर्डेड खातेदार है तथा उक्त आराजी पर वर्तमान में कब्जा ने से पत्थरगढी करने की अनुमति दिया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र ठोकार किया जाता है एवं ग्राम बरार पटवार हल्का बरार भू0अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र बरार तहसील म जिला राजसमंद के जमाबंदी सम्वत् 2075-2078 के अनुसार खाता संख्या 373 (खाता संख्या ाना 312), खसरा संख्या 6618 रकबा 0.6151 है0 किस्म बंझड़ भूमि की पत्थरगढी करने के आदेश ए जाते है। पालना हेतु तहसीलदार भीम को लिखा जावे कि प्रार्थी से नियमानुसार पत्थरगढी शुल्क मा करा मौके पर पक्षकारान की उपस्थिति में पत्थरगढी कर रिपोर्ट न्यायालय में पेश करें।

निर्णय खुले इजलास सुनाया गया। पत्रावली बाद पूर्ति फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से म की जावे।



  
सहायक कलेक्टर  
सहायक कलेक्टर एवं  
उपखण्ड अधिकारी, भीम  
जिला - राजसमन्द